

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-3, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाषनम्बर0141-2712993

Email: adpcjaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एडीपीसी / समसा / जय / प्रबल / 2025-26 / As Per Rajkaj ref No.

दिनांक:- As Per Rajkaj E-Sign

प्रशासनिक, वित्तीय एवं राशि आहरण आदेश

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक राजकाज रैफ नं. 17456657 दिनांक 29.08.2025 एवं वित्तीय एवं आहरण सीमा स्वीकृति राज रैफ नं. 17548210 दिनांक 04.09.2025 के क्रम में समग्र शिक्षा 2025-26 में प्रबल कार्यक्रम हेतु प्रबल कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 9-12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में 21 वीं सदी के कौशल विकसित किये जाने हेतु गतिविधियों का आयोजन विद्यालय, ब्लॉक एवं जिला पर किये जाने हेतु बजट मद Quality Intervention में 3.1 Fund for Quality(LEP, Innovation, Guidance etc)-3.1.1 Innovation Projects Recurring (Secondary & Sen. Secondary), Centaury Learning & Information Skills अन्तर्गत निम्नानुसार Single Nodal Account (SNA) खातों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पीएम श्री "संचालन पोर्टल "समग्र शिक्षा- Single Nodal Account (SNA), SBI Bank खाता संख्या 40469910973, Gandhinagar, Jaipur से आहरण सीमा तक वित्तीय स्वीकृति तथा राशि के आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	ब्लॉक	विद्यालयों की संख्या (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय)	आहरित की जाने वाली राशि (प्रति विद्यालय 750/- रु.)
1	AMBER	40	30000
2	ANDHI	40	30000
3	BASSI	51	38250
4	CHAKSU	46	34500
5	DUDU	28	21000
6	GOVINDGARH	103	77250
7	JAIPUR EAST	53	39750
8	JAIPUR WEST	64	48000
9	JALSU	45	33750
10	JAMWA RAMGARH	58	43500
11	JHOTWARA	29	21750
12	JHOTWARA CITY	44	33000
13	JOBNER	33	24750
14	KISHANGARH RENWAL	39	29250
15	KOTKHAWADA	29	21750
16	KOTPUTLI	59	44250
17	MADHORAJPURA	30	22500
18	MAUZAMABAD	31	23250
19	PAOTA	42	31500
20	PHAGI	30	22500

RajKaj Ref No.:
18379091



eSign 1.0

21	SAMBHAR LAKE	35	26250
22	SANGANER	49	36750
23	SANGANER CITY	32	24000
24	SHAHPURA	86	64500
25	TUNGA	30	22500
26	VIRATNAGAR	61	45750
Grand Total		1187	890250

(अक्षरे:- आठ लाख नब्बे हजार दौ सौ पचास रू. मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशानिर्देशों की पालना करते हुये किया जावे। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रावधान के विरुद्ध किया जाना है।

संलग्न:- 1187 विद्यालयों की सूची।

मद:- Quality Interventions

3.1 Fund for Quality(LEP, Innovation, Guidance etc)

3.1.1 Innovation Projects Recurring (Secondary & Sen. Secondary)

Centaury Learning & Inforamation Skills

(मंजू शर्मा)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूलशिप जयपुर।
2. उपायुक्त (गुणवत्ता शिक्षा) रास्कूलशिप जयपुर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त-ब्लॉक को भेजकर लेख है कि तीन दिवस में संलग्न विद्यालयों को लिमिट जारी करना सुनिश्चित करें।
4. लेखा शाखा/कैशियर स्थानीय कार्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार ब्लॉक को लिमिट जारी करना सुनिश्चित करें।
5. कार्यालय प्रति।

जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर